रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238639 CG-DL-E-07092022-238639

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3985] No. 3985] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4166(अ)—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम और इसके सहयुक्त अश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को क्रांतिक सूचना अवसंरचना होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम बिजनेस एप्लीकेशन और एंटरप्राइज़ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, दस्तावेज आवेदन के डिजिटलीकरण से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (क) संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई अभिहित कर्मचारी:
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता के दल का कोई सदस्य या तृतीय पक्षकार विक्रेता जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल] डॉ. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव

5974 GI/2022 (1)

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

- **S.O. 4166 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Electronic Front End Application Program Business Application and Enterprise Document Management System Digitisation of Documents Application, being Critical Information Infrastructure of the Life Insurance Corporation of India, and the computer resources of its associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:-
- (a) any designated employee of the Life Insurance Corporation of India authorised in writing by the Life Insurance Corporation of India to access the protected system;
- (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Life Insurance Corporation of India for need-based access; and
- (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Life Insurance Corporation of India on case to case basis.

[F. No. 2(5)/2022-CL] Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.